कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य / छाप्रोप्र / निजी / 2016–17 दिनांक : 28/11/17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय)

विषय :– शारदे बालिका छात्रावास में रह कर राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाली छात्राओं को छात्रवृति एवं प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में।

ऐसा जानकारी में आया है कि राज्य में संचालित शारदे बालिका छात्रावासों में रहने वाली बालिकाओं को कतिपय संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा विभिन्न छात्रवृति एवं प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित नही किया जा रहा है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शारदे बालिका छात्रावासों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों से जोड़कर न देखें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृतियां पृथक से उन्ही के द्वारा सीधे ही प्रदान की जा रही है जिनकी दरें भी भिन्न है परन्तु शारदे बालिका छात्रावासो में रहने वाली छात्राएं इस प्रकार की विशेष छात्रवृतियों से लाभान्वित नही की जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शारदे बालिका छात्रावासो में रह कर माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओ को विभिन्न प्रकार की छात्रवृति एवं प्रोत्साहन योजनाओ में पात्र होने पर अनिवार्यतः सम्मिलित कर लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में शारदे बालिका छात्रावास में रहने वाली कोई भी पात्र बालिका किसी भी योजना से वंचित न रहे इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय की होगी।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।
4. निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर – विभागीय वेबसाइट

28.11.17
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर